

राजस्थान सरकार  
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:- राम/भूअ/ई.3/भूअनि रिब्यू डीपीसी/2022-23/5047 दिनांक:- 17/04/23

::: आदेश :::

मण्डल के आदेश क्रमांक राम/भूअ/ई-1/2/8/2020/9736-42 दिनांक 18.02.2021 के द्वारा श्री रामगोपाल खाती के विरुद्ध विचाराधीन ए0सी0बी0 प्रकरण के कारण रिवित वर्ष 2017-18 के विरुद्ध पदोन्नति को आस्थागित किया गया था।

श्री रामगोपाल खाती पिता ग्यासीलाल, पटवारी, संवर्ग सामान्य, जिला टोंक के विरुद्ध विचाराधीन ए0सी0बी0 प्रकरण 123/2015(23/2006) अन्तर्गत धारा-7, 13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2)भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व धारा 120 वी भारतीय दण्ड संहिता में माननीय विशेष न्यायाधीश, सेशन न्यायालय (भ्र.नि.अधिनियम) अजमेर के निर्णय दिनांक 23.03.2022 के द्वारा दोष मुक्त किये जाने एवं अपील नहीं किये जाने का निर्णय के फलस्वरूप श्री रामगोपाल खाती का रिवित वर्ष 2017-18 (वर्ष 2022 की वरिष्ठता क्रमांक 75) के विरुद्ध बन्द लिफाफा खोला जाकर उक्त आस्थागिक आदेश को निरस्त करते हुए पटवारी से भू अभिलेख निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया जाता है।

(महावीर प्रसाद)

निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

दिनांक:- 17/04/23

क्रमांक:- सम/5048-54

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ /पालनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर

2- संभागीय आयुक्त अजमेर।

3- जिला कलक्टर टोंक

4- संबंधित कार्मिक श्री रामगोपाल खाती पटवारी जिला टोंक को भेज कर निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नति आदेश की पालना में अपने वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष को भू-अभिलेख निरीक्षक पद पर उपस्थिति प्रस्तुत करें।

5- निजी पत्रावली सर्वसंबंधित कार्मिक

6- कम्प्यूटर शाखा उक्त सूची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।

7- आदेश पत्रावली

निबंधक

राजस्थान मण्डल राजस्थान, अजमेर  
Signature valid

Digitally signed by Malaveer Prasad  
Designation: Registrar  
Date: 2023.04.17 11:48 IST  
Reason: Approved